

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय काउन्सिल ऑफ इन्जिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषण वर्ष 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नोक्त बातों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1538-COLLEGE OF ENGINEERING & RURAL TECHNOLOGY, PARTAPUR BY PASS ROAD, MEERUT

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	पठ्याई0जी0टी0ई0 वी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	120	120
3	CIVIL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ साथ ही 00अ0ई0सी0टी0ई0-वी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1982, सोसायटी विनियमकारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालय पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर दस्तावेज निर्गत किये जाने वाले सम्बन्धों

**कार्यालय,
राष्ट्रीय आर्थिक शिक्षा परिषद,
असम प्रदेश अकादमी।**

दिनांक:- अखिर/अधिका संख्या/2020/1071

संलग्नक दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिर कार्यालय कार्यालयी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय अथवा इन्डियन न्यू दिल्ली द्वारा वार्षिक राश 2020-21 हेतु विदेशीय कार्यालयी शिक्षा परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने को लेकर आर्थिक शिक्षा परिषद, असम अकादमी से सम्बन्धित/सम्बन्धित विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिर, आर्थिक शिक्षा परिषद, असम अकादमी को अखिर से परिषद कार्यालय में भेजा जा रहा है। देश में कोरोना द्वारा राश 2020-21 हेतु आर्थिक नई परिषदों को सम्बन्धित/पूर्व से सम्बन्धित परिषदों को सम्बन्धित विचार/सम्बन्धित/अन्य अन्य नूतन विचार प्रदान करने हेतु राश 2020-21 हेतु सम्बन्धित प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बन्धित समिति को देश के राश-2021 में विदेशीय द्वारा इच्छित सम्बन्धित करने वाली पूर्व से सम्बन्धित परिषदों का प्रदान प्रदान प्रदान। सम्बन्धित समिति द्वारा प्रदान विचार-विचार का निष्कर्ष निर्णय लिया गया :-

निम्नी संघ में कार्यालय विदेशीय द्वारा इच्छित सम्बन्धित करने वाली विदेशीय कार्यालयी शिक्षा परिषदों को आर्थिक शिक्षा परिषद, असम अकादमी से पूर्व से सम्बन्धित है, में एम्पाईनमेंट/ईईई द्वारा राश 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचार प्रदान किया गया है। इन परिषदों में एम्पाईनमेंट/ईईई द्वारा प्रदान करने अनुमोदन विचार को अनुमोदन करने जाने का अनुमोदन अखिर सम्बन्धित/अन्य अकादमी को प्रदान राश 2020-21 हेतु परिषद को सम्बन्धित विचार प्रदान करने जाने का निर्णय द्वारा विचार-विचार किया गया एवं एम्पाईनमेंट/ईईई द्वारा राश 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचार को अनुमोदन में परिषद से राश 2020-21 हेतु सम्बन्धित विचार प्रदान करने जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिर सम्बन्धित समिति को देश में देने वाले एम्पाईनमेंट निर्णय को अनुमोदन में निम्न राश को आर्थिक शिक्षा परिषद, असम अकादमी द्वारा राश 2020-21 हेतु निर्णयित करने को अखिर सम्बन्धित एवं प्रदान अखिर अकादमी द्वारा सम्बन्धित विचार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	परिषद का नाम	राश का नाम	सम्बन्धित का नाम	एम्पाईनमेंट/ईईई /अन्य राश 2020-21 में अनुमोदन करने के लिए	परिषद द्वारा राश 2020-21 में अनुमोदन करने के लिए
1	1000	राज्यीय अथवा इन्डियन, एवं अथवा एम्पाईनमेंट, एम्पाईनमेंट अथवा राश, राश।	राज्यीय इच्छित, इच्छित/अन्य इच्छित, एम्पाईनमेंट इच्छित	100	100
				100	100

संलग्नक हेतु राशि

- ✓ राश एम्पाईनमेंट/ईईई/एम्पाईनमेंट द्वारा निर्णयित को राशि राशि का निर्णय प्रदान करने।
- ✓ राश प्रदान अखिर आर्थिक शिक्षा परिषद एवं 1000 राश आर्थिक शिक्षा परिषद निर्णयित 1000, एम्पाईनमेंट निर्णयित-2000 राश अन्य निर्णयित निर्णय एवं अखिर का अनुमोदन करने तथा राश निर्णयित समिति द्वारा निर्णयित राश अथवा अथवा इच्छित सम्बन्धित हेतु राश 10,00,000/- अखिर, दो अथवा अथवा सम्बन्धित सम्बन्धित हेतु राश 10-10,00,000/- अखिर एवं राश अथवा दो अथवा सम्बन्धित (दो अथवा अथवा सम्बन्धित सम्बन्धित) हेतु राश 20,00,000 अखिर राश ही अखिर अथवा/अथवा से राश किया जायेगा। एम्पाईनमेंट को आर्थिक अथवा/अथवा से राश को सम्बन्धित में सम्बन्धित-सम्बन्धित पर राश द्वारा निर्णय देने जाने वाले सम्बन्धित अथवा होने, और सम्बन्धित सम्बन्धित विचार अथवा अकादमी होने। अथवा निर्णयित समिति द्वारा राशि राश 2020-21 हेतु राश का निर्णयित किया गया है, दो अथवा को सम्बन्धित पर अनुमोदन।
- ✓ राश को (1000 आर्थिक शिक्षा परिषदों तथा एवं अथवा, अथवा को सम्बन्धित विचार अथवा) निर्णयित-2000 को राशि का अनुमोदन प्रदान होने।

(Handwritten signature)

